मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 की धारा 27 (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री रामलखन सिंह, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम गोंगिया निवासी कृषक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम गुंवारी स्थित मोजर वेयर पावर प्लांट के श्रमिकों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रमेश प्रसाद खटीक, माखनलाल राठौर, सदस्य, शिवपुरी स्थित प्रायवेट बस स्टैण्ड को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के तेरहवें एवं पन्द्रहवें (द्वादश विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का तृतीय एवं चतुर्थ (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) सदन में प्रस्तुत करेंगी.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011
30 मि. (क्रमांक 10 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन
1 घन्टा विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) पर विचार किया जाय.
30 मि. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय

.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 29 मार्च, 2011